न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 - 53/2017

अनवान :

1. कानाराम; पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजेन्द्र सिंह
3. नरेन्द्र सिंह
4. विक्रम

} पुत्रान रामस्वरूप जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा जिला हनुमानगढ़।

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत : रास्ता स्वीकृत करवाने

अन्तर्गत धारा 8(2) कोलोनाईजेशन (जनरल कालोनी)

उपस्थिति : वकील श्री बलवन्तसिंह - **प्रार्थी**

निर्णय **दिनांकः** 22-06-2018

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं0 389/411 के मु0नं0 166 के किला नं0 17, 18, 19, 21, 22 ता 24 की कुल 1.7710 है0 खातेदारी कृषि भूमि जो उसे अकेले को घरू बंटवारे में मिली हुई है में से मंजूर शुदा खेतों का रास्ता है, जिस में से होकर प्रार्थी एवं अन्य काश्तकार अपने रकबा तक पहूंचने है। मु0नं0 166 के किला नं0 15 एवं 25 आराजी राज सिवाय चक है जो सरकारी भूमि है, जिसकी मालिक राजस्थान सरकार है तथा इन्हीं दोनों किलों से होकर रास्ता मंजूर शुदा गुजरता है। प्रार्थी उक्त मंजूरशुदा रास्ता से मु0नं0 166 के किला नं0 15 तक तो पहूंचता है, लेकिन आगे अपने रकबा में जाने के लिए उसका कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी अपने रकबा में पहूचने के लिए इसी मुरबा के किला नं0 15 में पूर्व से पश्चिम में एक बीघा की लम्बाई में एक बिस्वा रास्ता मंजूर कराने हेतु निवेदन कर रहा है। प्रार्थी राज्य सरकार को 1 बिस्वा भूमि की कीमत अदा करने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया। प्रार्थीगण सं0 2 व 3 की तरफ से आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेष हुआ जिस पर राज पेरोकार ने अनापति की, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया व वादभूमि के सभी सहखातेदारों को बतौर वादीगण संयोजित किया गया।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया।

हस्तगत पत्रावली में प्रार्थी ने अप्रार्थी की खातेदारी से अन्तर्गत धारा 8(2) राज0 कालोनाईजेशन जनरल कंडीशन एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। पत्रावली में तहसीलदार भादरा से दिनांक 27.04.18 को रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में तहसीलदार

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
(जिला-हनुमानगढ़)

भादरा ने स्पष्ट अंकन किया है कि "राजस्व रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया कि उक्त रकबे में आवागमन हेतु कोई रास्ता उक्त रकबे के चिपता हुआ रिकार्ड में दर्ज नहीं है। मु0नं0 66 के दक्षिण की तरफ मु0नं0 183 के किला नं0 5, 6, 15, 16 में 1—1 बिस्वा रास्ता रिकार्ड में दर्ज है, इसलिए निकटतम रास्ता मु0नं0 166 के किला नं0 25 में से होकर एक बिस्वा स्वीकृत हो जाने की स्थिति में उक्त रकबे पर आवागमन हो सकता है। इस प्रकार हल्का पटवारी ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी कानाराम द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम होना व अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना जाहिर किया है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 8(2) कोलोनाईजेशन एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा चक भिरानी के मु0नं0 166 के किला नं0 25 में पूर्व से पश्चिम एक बिघा की लम्बाई में 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है रास्ता में गई भूमि की एवज में प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि के मु0नं0 166 के किला नं0 24 की पूर्वी तरफ मु0नं0 166 के किला नं0 25 के चिपती व रास्ता में गई भूमि के बराबर भूमि प्रार्थीगण की कृषि भूमि से कम की जाकर अप्रार्थी राजस्थान सरकार की सिवाय चक काबिल काश्त दर्ज की जाकर भूमि पूरी की जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22-06-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा जिला हनुमानगढ

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़